न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरूण कुमार हसीजा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र रसद संख्याः 04/2025

दायर दिनांकः 15.04.2025

निर्णय दिनांक 03.10.2025

–:अनवानः–

राज्य सरकार जरिये, लोकेश जोशी प्रवर्तन अधिकारी, राजसमन्द – **प्रार्थी**

–:: **बनाम** ::–

रजाक मोहम्मद रंगरेज निवासी कुरज तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द

– **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अनतर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, अप्रार्थी द्वारा एल0पी0जी0 घरेलू गैस व्यवसायिक सिलेण्डरों का अवैध रूप व्यवसायिक उपयोग करते हुए पाये जाने पर रिफलिंग मशीन को सरकार कर एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत राजसात करने बाबत।

उपस्थितः–

1– श्री अनिल बागोरा, राजकिय अधिवक्ता, प्रार्थी

2– अप्रार्थी श्री रजाक मोहम्मद रंगरेज, उपस्थित।

:: निर्णय ::

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 24.03.2025 को हमराह श्री रणजीत सिंह, प्रवर्तन अधिकारी एवं राकेश माहेश्वरी, प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा घरेलू गैस के दुरुपयोग को रोकने हेतु संचालित अभियान के दौरान श्री रज्जाक मोहम्मद रंगरेज, द्वारा संचालित फर्म मै0 रजाक साईकिल स्टोर, कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। मौके पर कुल 13 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये जिसमें 3 सिलेण्डर भरे हुए एवं 10 सिलेण्डर खाली पाये। साथ ही एक इलेक्ट्रीक रिफलिंग मशीन मय 2 काले रंग की रबर टयूब जिसमें एक तरफ से वाहन को जोडने का रेगुलेटर एवं एक तरफ से घरेलू गैस सिलेण्डर से जोडने का रेगुलेटर पाया गया। इस क्रम में मौके पर उपस्थित श्री रज्जाक मोहम्मद रंगरेज से पूछताछ करने पर उक्त के सबंध में कोई वैध अनुज्ञा पत्र एवं खरीद भण्डारण विक्रय के संबंध में कोई भी दस्तावेज होने से स्पष्ट मना किया गया। प्रथम दृष्टया अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग किये जाने की आशंका पर 13 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 42.6 किग्रा गैस एवं एक इलेक्ट्रीक रिफलिंग मशीन मय 2 काले रंग की रबर टयूब मय रेगुलेटर जब्त की जाकर श्री धनश्याम गाडरी पुत्र श्री बदरीलाल निवासी रेलगमरा प्रतिनिधि मै0 श्री विनायक इंडेन गैस एजेन्सी, रेलमगरा जिला राजसमन्द को ठीक तरीकों से सिपुर्द किय जाकर सुपुर्दगीनामा तैयार करा पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करवाये गये।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

मौके पर जब्त किए गये घरेलू गैस सिलेण्डर एवं उनमे संग्रहित गैस का विवरण निम्नानुसार है:–

क्रसं.	गैर सिलेण्डर पर अंकित संख्या	तेल कम्पनी का नाम	सिलेण्ड रका प्रकार	सिलेण्डर का(बाट माप विभाग से प्रमाणित) मशीन से तोलने पर कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर में उपलब्ध गैस का वजन किलोग्राम में
1	505638 L	IOCL	Dom.	29.6	15.4	14.2
2	883015 S	IOCL	Dom.	29.9	15.7	14.2
3	स्पष्ट नहीं A25	IOCL	Dom.	15.9	15.9	–
4	732934 S	IOCL	Dom.	16.0	16.0	–
5	056960	IOCL	Dom.	15.6	15.6	–
6	370768 E	IOCL	Dom.	15.9	15.9	–
7	204047 S	IOCL	Dom.	15.8	15.8	–
8	228388 E	IOCL	Dom.	16.0	16.0	–
9	699771 S	IOCL	Dom.	15.6	15.6	–
10	803909 J	IOCL	Dom.	15.7	15.7	–
11	22468 S	IOCL	Dom.	15.5	15.5	–
12	174336 B	BPCL	Dom.	15.6	15.6	–
13	स्पष्ट नहीं C25	IOCL	Dom.	31.1	15.9	14.2
	Total			248.2	205.6	42.6

अतः श्री रज्जाक मोहम्मद रंगरेज, द्वारा संचालित फर्म मै0 रजाक साईकिल स्टोर, कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द द्वारा घरेलू गैस का व्यवसायिक उपयोग किया जाना पाया गया. जो दी लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का उल्लंघन किया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि जब्त सुदा 13 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 42.6 किलो गैस एवं 1 इलेक्ट्रीक रिफिलिंग मशीन को राजसात किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई। अप्रार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया एवं बहस की।

अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मैं गांव कुरज का निवासी होकर बस स्टेण्ड कुरज पर छोटा सा चद्दर का केबिन लगाकर साईकिल के पंचर निकालने का कार्य करता हूं तथा अन्य छोटी मोटी रिपेयरिंग कर अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करता हूं। गांव कुरज में घरेलू गैस टंकियों की सप्लाई गंगापुर, रेलमगरा, पीपरड़ा, कांकरोली आदि जगह से पिकअप वाहनों द्वारा सप्लाई की जाती हैं। हमारे गांव की गलियां अत्यन्त संकड़ी होने से पिकअप वाहन हर गली में जाना संभव नहीं है और वाहन भी कई जगह सप्लाई देते देते आता है तो उसके आने का भी कोई समय निर्धारित नहीं हैं इसलिए लोगों ने और टंकी सप्लाई वालों ने मेरी दुकान बस स्टेण्ड कुरज पर रज्जाक साईकिल स्टोर जहां पर मैं पंचर बनाता हूं वहां पर लोग अपनी टंकी रख देते हैं और रिफिल के पैसे दे देते हैं जिससे मैं इनकी टंकियों को भरवाकर अपनी दुकान पर रख लेता हूं और लोग अपनी सुविधानुसार अपने घर पर ले जातें हैं गैस की टंकियां मेरी स्वयं की नहीं हैं और यह केवल मात्र रिफिल करवाने के लिए रखी गई है। मैं गैस की टंकियों का किसी भी प्रकार के व्यवसायिक उपयोग के लिए नहीं लेता हूं। हमारे गांव में गलियां और मोहल्ले संकड़े होने के कारण पिकअप गाडी

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

हर जगह नहीं पहुंच पाती इसलिए लोग मेरे यहां पर अपनी सुविधा के लिए अपनी टंकियां रिफिल करवाने के लिए रखते हैं। मैं गांव वालों की सुविधा के लिए ही उनकी टंकियां भरवाकर अपनी दुकान पर रखता हूं जिससे कि उनको सुविधा मिल सके। टंकी सप्लाई करने वाले गंगापुर, रेलमगरा, पीपरड़ा एवं कांकरोली आदि जगह से आते हैं और उनका रूट काफी लम्बा होने के कारण वो हर गांव में हर जगह घर–घर अपनी टंकी नहीं उतार पाते हैं इसलिए उन्होने हर गांव में टंकी लेने के अपना स्थान फिक्स कर रखें हैं जिससे हर व्यक्ति को आसानी रहती हैं और कुरज में वो मेरे केबिन के बाहर आकर रुकतें हैं। मैं रजाक मोहम्मद एक बेहद गरीब व्यक्ति हूं और साईकिल के पंचर निकाल कर अपनी आजिविका चला रहा हूं और लोगों की मदद कर रहा हूं और इसमें मेरा कोई दोष नहीं हैं। अतः आप श्रीमान् से निवेदन है कि हमारे गांव के निवासियों टंकियां लौटाने की कृपा करावें आपकी बहुत मेहरबानी होगी क्योंकि ये लोग रोज मेरी दुकान पर आकर अपनी टंकियों की मांग करते हैं कि आपकी दुकान से ले गये तो आप जानो हम तो आपको जानते हैं, इसलिए आप श्रीमान् से करबद्ध निवेदन है कि जब्त टंकियां लौटाने की महत्ती अनुकम्पा करावें।

प्रार्थी के अधिवक्ता एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गयी। राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया कि दिनांक 24.03.2025 को अप्रार्थी की दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। मौके पर कुल 13 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये जिसमें 3 सिलेण्डर भरे हुए एवं 10 सिलेण्डर खाली पाये। साथ ही एक इलेक्ट्रीक रिफलिंग मशीन मय 2 काले रंग की रबर ट्यूब जिसमें एक तरफ से वाहन को जोडने का रेगुलेटर एवं एक तरफ से घरेलू गैस सिलेण्डर से जोडने का रेगुलेटर पाया गया। इस क्रम में मौके पर उपस्थित श्री रज्जाक मोहम्मद रंगरेज से पूछतात करने पर उक्त के सबंध में कोई वैध अनुज्ञा पत्र एवं खरीद भण्डारण विक्रय के संबंध में कोई भी दस्तावेज होने से स्पष्ट मना किया गया। प्रथम दृ ष्टया अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग किये जाने की आशंका पर 13 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 42.6 किग्रा गैस एवं एक इलेक्ट्रीक रिफलिंग मशीन मय 2 काले रंग की रबर टयूब मय रेगुलेटर जब्त की गयी है। श्री रज्जाक मोहम्मद रंगरेज, द्वारा संचालित फर्म मै0 रजाक साईकिल स्टोर, कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द द्वारा घरेलू गैस का व्यवसायिक उपयोग किया जाना पाया गया, जो दी लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का उल्लंघन किया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि जब्त सुदा 13 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 42.6 किलो गैस एवं 1 इलेक्ट्रीक रिफिलिंग मशीन को राजसात किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया कि गांव कुरज में घरेलू गैस टंकियों की सप्लाई गंगापुर, रेलमगरा, पीपरड़ा, कांकरोली आदि जगह से पिकअप वाहनों द्वारा सप्लाई की जाती हैं। हमारे गांव की गलियां अत्यन्त संकड़ी होने से पिकअप वाहन हर गली में जाना संभव नहीं है और वाहन भी कई जगह सप्लाई देते देते आता है तो उसके आने का भी कोई समय निर्धारित नहीं हैं इसलिए लोगों ने और टंकी सप्लाई वालों ने मेरी दुकान बस स्टेण्ड कुरज पर रजाक साईकिल स्टोर जहां पर मैं पंचर बनाता हूं वहां पर लोग अपनी टंकी रख देते हैं और रिफिल के पैसे दे देते हैं जिससे मैं इनकी टंकियों को भरवाकर अपनी दुकान पर रख लेता हूं और लोग अपनी सुविधानुसार अपने घर पर ले जातें हैं गैस की टंकियां मेरी स्वयं की नहीं हैं और यह केवल मात्र रिफिल करवाने के लिए रखी गई है। मैं गैस की टंकियों का किसी भी प्रकार के व्यवसायिक उपयोग के लिए नहीं लेता हूं। अतः आप श्रीमान् से निवेदन है कि हमारे गांव के निवासियों टंकियां लौटाने की कृपा करावें।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

इसलिए आप श्रीमान् से करबद्ध निवेदन है कि जब्ज टंकियां लौटाने की महत्ती अनुकम्पा करावें।

उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया तथा मामले में गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज रसद विभाग द्वारा मूर्तिब फर्द मौका व जब्ती अनुसार दिनांक 24.03.2025 को श्री रणजीत सिंह, प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अप्रार्थी से IOCL कम्पनी का अवैध रूप से भण्डारित 13 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 42.6 किलोग्राम गैस एवं इलेक्ट्रिक रिफिलिंग मशीन जब्त की गई एवं मौके पर वक्त जांच उक्त घरेलु गैस सिलेण्डर के बारे में अप्रार्थी से जांच दल द्वारा वैध लाईसेंस व दस्तावेज उपलब्ध करवाने हेतु कहा गया किन्तु न तो उसके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब दिया गया और न ही इस घरेलु गैस सिलेण्डर का कोई वैध अनुज्ञापत्र आदि उपलब्ध कराया गया। अप्रार्थी की ओर से भी अपने पक्ष के समर्थन में ऐसे कोई अकाट्य तर्क व प्रमाण पेश नहीं किये गये हैं।

इस प्रकार प्रथम दृष्टया अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक रूप से उपयोग किया जाना पाया जाता हैं। अतः उक्त विवेचन के आधार पर उक्त मामले में अप्रार्थी से जब्तशुदा 13 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 42.6 किलोग्राम गैस एवं इलेक्ट्रिक रिफिलिंग मशीन को राजसात किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर जिला रसद अधिकारी राजसमन्द को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी से जब्तशुदा समस्त 13 सिलेण्डरो मय 42.6 किलोग्राम गैस को राजसात किया जाकर राशि राज्यमद में जमा करें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी राजसमन्द को भिजवायी जावे।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 03.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)